सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2025/21 दर्ज तिथिः– 09.06.2025

1. बाबु हुसैन पुत्र स्व0 रजाक जाति कसाई निवासी दुधवाखारा तहसील जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

1. यासीन पुत्र स्व0 रजाक जाति कसाई निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरू
2. अलीशेर पुत्र सदीक जाति कसाई निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरू
3. खैरूनिशा पुत्री सदीक पत्नी आरिफ जाति कसाई निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरू हाल निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू (राज.)
4. फातमा बानो पुत्री सदीक पत्नी मोहम्मद रफीक जाति कसाई निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरू हाल निवासी वार्ड संख्या 14, ख्याली मोहल्ला, तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू
5. फारूक पुत्र सदीक जाति कसाई निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरू
6. मैनूदीन पुत्र सदीक जाति कसाई निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरू
7. मो. इलियास पुत्र सदीक जाति कसाई निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरू
8. लाली पुत्री सदीक पत्नी उस्मानगनी जाति कसाई निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरू हाल निवासी वार्ड संख्या 30, बकरा मण्डी, सरदारशहर जिला चूरू
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब चूरू

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– हसन खां
अप्रार्थीगणः– धन्ने सिंह , आरिफ खां

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र निम्न अनुसार प्रस्तुत हैः–

1. यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की विरासतन कृषि भूमि खेत पुराना खसरा संख्या 1004 तादादी 5.00 बीघा, खसरा संख्या 875 तादादी 1.00 बीघा , खसरा संख्या 883 तादादी 0.0400 बीघा गै. मु. कुण्ड तथा खसरा संख्या 884 तादादी 30.15 बीघा कुल तादादी 36 बीघा 19 बिश्वा रोही ग्राम दुधवाखारा में प्रार्थीगण के पूर्वज के इंतकाल के पश्चात उक्त कृषि भूमि सदीक, यासीन, बाबू हुसैन पि. रजाक कौम व्योपारी के नाम से संयुक्त एवं शामलाती खातेदारी कब्जा काश्त में चली आयी।
2. यह कि उपरोक्त खसरान भूमि का [illegible] हिस्सा बराबर खाता विभाजन किये जाने के पश्चात ख.न. 1466/884 तादादी [illegible] हैक्टेयर प्रार्थी बाबू हुसैन, ख.न. 1004 तादादी 1.2646 हैक्टेयर, खसरा [illegible] हैक्टेयर, खसरा संख्या 875 तादादी 0.2529 हैक्टेयर, खसरा [illegible] 883 [illegible] 0.0606 गै.मु. कुण्ड कुल तादादी 3.1236

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:54 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर यासीन पुत्र रजाक तथा खसरा संख्या 1465/884 तादादी 3.1110 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 02 ता 08 के पिता सदीक पुत्र रजाक के हिस्सा में आयी। प्रमाणित जमाबंदी तथा नक्शा की प्रति शामिल पत्रावली प्रार्थना पत्र है।

3. यह कि पक्षकारान के मध्य खाता विभाजन होने के पश्चात प्रार्थी की हिस्सा खसरान भूमि की सींव पुख्ता थी मगर अप्रार्थीगण द्वारा अपनी तरफ से बाला–बाला प्रार्थी की सींव साल दर साल काट काट कर प्रार्थी की हिस्सा भूमि की तरफ सरकते चले आये जिससे प्रार्थी की कृषि भूमि कम होती चली गई। जिस पर प्रार्थी द्वारा अपनी हिस्सा कृषि भूमि की दिनांक 06.05.2025 को नपती करवाई गई तब प्रार्थी की कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि से कम पाई गई।
4. यह कि प्रार्थी द्वारा अपने मूल खसरा के विभाजन के समय नाप करवाया गया था तब सींव सही स्थिति में थी मगर बाद में अप्रार्थीगण के मन में लोभ व लालच आ गया और उन्होने अपनी तरफ से सींव को काटकर छिन्न–भिन्न करते चले आये।
5. यह कि प्रार्थी उमरदराज व्यक्ति है जो अकाल व शारीरिक कमजोरी के कारण हर साल अपनी कृषि भूमि को काश्त नहीं कर पाता जिस कारण अप्रार्थीगण द्वारा अपनी तरफ से सींव की सीमा नष्ट कर दिये जाने के कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की कृषि भूमियों के मध्य सीमा न ट व जर–जर हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है इसलिये प्रार्थी के लिए अपनी कृषि भूमि का सीमा ज्ञान करवाया जाना आवश्यक होगया है कि खेत ख.न. 1466/884 तादादी 3.1110 हैक्टेयर रोही ग्राम दुधवाखारा तहसील जिला चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढी) लगाले जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
6. यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 08 को कई बार कहा व कहलवाया कि अपनी–अपनी कृषि भूमि की नपती करवाकर सीमा ज्ञान करवा लेंवे मगर अप्रार्थीगण पड़ौसियान दिनांक 15.05.2025 को इंकार हो गये। इसलिए प्रार्थी के लिये जरूरी हो गया कि वो अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढी) करवा ले जिससे आगे भविष्य में आस – पड़ौसी से कोई भूमि सीमा संबंधित विवाद ना रहे।
7. यह कि सभी प्रक्रिया श्रीमान तहसीलदार महोदय चूरू अप्रार्थी संख्या 09 के माध्यम से होनी है जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर अप्रार्थी संख्या 09 पक्षकार बनाया गया है।
8. यह कि प्रार्थी पत्थरगढी व सीमा ज्ञान के लिए निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिए तैयार है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जावेगी।
9. यह कि विवादित कृषि भूमि श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार हैं तथा प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।
10. प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता धन्नेसिंह व 2 से 8 की ओर से अधिवक्ता आरिफ चौहान ने वकालतनामा पेश पेश कर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है।

जवाब प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी संख्या 01 यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 सही अंकित होने से स्वीकार है लेकिन प्राथ्री के पिता का इन्ताल होन के पश्चात् उक्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी का बहमी बंटवारा कर सदीक यासीन प्रार्थी बाबु हुसैन अलग–अलग काश्त कब्जा करते आ रहे है। यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या ... लेकिन इसी मद में अप्रार्थी यासीन के विभाजित5 खातेदारी भूमि खसरा नंबर .../884 व 875 में, प्रार्थी बाबु हुसैन ने अपने हिस्से बंटवारे में आयी ख... अप्रार्थी यासी के हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:54 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से में आई भूमि में पक्के मकानात बना रखे है जिसके लिए अप्रार्थी 01 यासी द्वारा प्रार्थी बाबु हुसैन के वि☺ बेदखली की कार्यवाही अलग से की जावेगी।
यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02(3) जिस प्रकार से लिखीगयी है उस रूप में अस्वीकार की जाती है तथा इसी मद में प्रार्थी द्वारा अपनी हिस्सा भूमि की दिनांक 06.05.2025 को नतपी करवाई गई लिखा गया हे अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 यासी द्वारा अपनी हिस्सा काश्त की भूमि की नियमानुसार नपती करवाई जाकर अपने हिस्से की भूमि की सींव में जोधपुरी पटिट्यां रोप कर तारबंदी की गयी थी। यह कि प्रार्थना—पत्र की मद संख्या 03 जिस प्रकार से लिखी गयी है उस रूप में अस्वीकार की जाती है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 04 जिस प्रकार से लिखी गयी है उस रूप में अस्वीकार की जाती है क्यों कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 यासीन के अपने—अपने हक हिस्सा की सींव स्पष्ट है।
यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 06 के तथ्य प्रार्थी स्वयं साबित करे। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 07 व 08 के तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे।
यह कि प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा बंटवारे की भूमि खसरा नंबर 1466/884 को छोड़कर अप्रार्थी संख्या 01 यासी की हक हिस्सा की भूमि खसरा नंबर 1004, 1467/884 व 875 के पक्के मकानात बना रखे है तथा प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 01 यासी के हिस्से की भूमि में से अपने घर व अपने हिस्से में अप्रार्थी संख्या 01 यासीन की भूमि में से जबर दस्ती आ जा रहा है। प्रार्थी की भूमि गांव दूधवा खारा की आबादी भूमि के चिपती है अप्रार्थी संख्या 01 यासी ने अपने हक हिस्से में एक कुण्ड व उसके चारो तरफ पक्की चार दीवार बना रखी है उसके दक्षिण तरफ आम दास्ता है प्रार्थी बाबु हुसैन इसी रास्ते` अप्रार्थी संख्या 01 यासी के हक हिस्सा में बने कुण्ड व चारदीवारी के पास—पास जबरदस्ती रास्ता लेना चाहता है क्योंकि प्रार्थी उक्त अपनी भूमि पर प्लॉट काटकर आबादी भूमि के भाव से विक्रय कर रूपये वसूलना चाहता है प्रार्थी जबरदस्ती रास्ता लेने, प्लॉट काटकर आबादी भूमि के भाव से विक्रय करने के उद्देश से यह पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के हक हिस्सा की उक्त भूम के पश्चिम तरफ अकबर पुत्र रजाकर दिननेश पुत्र हरीराम ब्राह्मण उतर की रतफ दिग्विजयसिंह राजपूत तथा पूर्व की तरफ भंवरलाल इत्यादि की कृषि भूमि है प्रार्थी व इन पड़ौसियान खातेदारों के मध्य सींव को लेकर विवाद होता रहा हैना ही पड़ौसियान खातेदारों व आबादी भूमि गांव दूधवाखारा की सींव व सीमा की पत्थरगढ़ी है। अतः जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।
जवाब प्रार्थना—पत्र अप्रार्थी संख्या 02 ता 08 का इस प्रकार है कि प्रार्थना—पत्र की मद संख्या 01 ता 04 स्वीकार है। मद संख्या 05 गलत लिखे होने के कारण लिखे अनुसार स्वीकार नहीं है अस्वीकार की जाती है अप्राथीगण तो स्वयं चाहते है कि पक्षकारान के हिस्सा भूमि की पुख्ता निशानदेही हो जाने पर पड़ौसियान के मध्य भविष्य में किसी भी प्रकार का सीमा को लेकर विवाद ना हों मद संख्या 06 ता 09 कानूनी है जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 08 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी लिखे अनुसार स्वीकार किये जाने पर अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। रिपोर्ट पटवारी दुधवाखारा के खसरा सं. 1466/884 तादादी 3.1110 हैक्टेयर बारानी के मौके पर सीमा ज्ञान करवाया तथा उपस्थित काश्तकार सहित मौजिज व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये।
अधिवक्ता उभया पक्ष की बहस सुनी गई बहस [illegible] उभय पक्ष ने प्रार्थना—पत्र व जवाब प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को [illegible]
यहां प्रार्थी बाबू हुसैन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] गया है कि रोही ग्राम दुधवाखारा स्थित कृषि भूमि खसरा न. 1466/884 रकबा 3.1110 हैक्टेयर उसके हिस्से की भूमि है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:54 IST
Reason: SelfAttested

जिसकी सीमा समय के साथ अस्पष्ट एवं क्षतिग्रस्त हो गई है तथा अप्रार्थीगण द्वारा धीरे-धीरे सीमा को काटकर उसकी भूमि में अतिक्रमण किया जा रहा है। अतः उक्त भूमि का विधिवत सीमा ज्ञान (सीमांकन) करवाकर स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) स्थापित करवाने की प्रार्थना की गई है।

अप्रार्थी संख्या 01 यासीन द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह स्वीकार किया गया कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी बंटवारा हो चुका है और सभी पक्ष अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं। तथापि यह आपत्ति ली गई कि प्रार्थी ने अपने हिस्से से अतिरिक्त भूमि पर निर्माण कर रखा है तथा वह अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 02 से 08 द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थना पत्र की अधिकांश तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह कहा गया कि भूमि का पुख्ता सीमांकन कर दिया जाना उचित होगा जिससे भविष्य में सीमा संबंधी विवाद समाप्त हो सके।

प्रकरण में पटवारी हल्का दुधवाखारा द्वारा मौके पर जाकर खसरा नं. 1466/884 रकबा 3.1110 हैक्टेयर का सीमांकन किया गया तथा उपस्थित काश्तकारों एवं मौजिज व्यक्तियों के हस्ताक्षर सहित अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा प्रकरण अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्थान राजस्व व्यवस्था में खातेदार की भूमि की सीमा स्पष्ट एवं सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियमों के अनुसार यदि किसी खातेदार की भूमि की सीमा नष्ट, अस्पष्ट अथवा विवादित हो जाती है तो राजस्व अधिकारी द्वारा उसका सीमांकन कर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित किया जा सकता है। प्रकरण में निम्न तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित होते हैं कि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि पूर्व में संयुक्त खातेदारी में थी। बाद में आपसी बंटवारे के अनुसार प्रार्थी के हिस्से में खसरा नं. 1466/884 रकबा 3.1110 हैक्टेयर भूमि आई। प्रार्थी द्वारा भूमि की सीमा अस्पष्ट होने का कथन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 से 08 ने भी सीमांकन करवाने पर कोई आपत्ति नहीं की है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर सीमांकन की कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ मुख्यतः अतिक्रमण एवं रास्ते से संबंधित हैं, जो कि वर्तमान प्रार्थना पत्र के सीमित प्रश्न अर्थात सीमा ज्ञान (पत्थरगढी) से भिन्न प्रकृति की हैं। यदि किसी पक्ष को अतिक्रमण या रास्ते के संबंध में कोई विवाद है तो उसके निवारण हेतु पृथक विधिक उपाय उपलब्ध हैं। सीमांकन की कार्यवाही का उद्देश्य केवल भूमि की वास्तविक सीमा का निर्धारण करना है, जिससे भविष्य में विवाद की संभावना समाप्त हो सके। यह कार्य राजस्व प्रशासन की नियमित प्रक्रिया का भाग है और इससे किसी पक्ष के स्वामित्व अधिकारों का स्वतः निर्धारण नहीं होता। इस प्रकार उपलब्ध अभिलेख, पक्षकारों के कथनों तथा पटवारी रिपोर्ट के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की भूमि का विधिवत सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

आदेश है कि

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर [illegible] 111 एवं 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। [illegible] चूरू को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार सक्षम राजस्व [illegible] भूमि खसरा नम्बर 1466/884 रकबा 3.1110 हैक्टेयर [illegible] सीमा ज्ञान करवा कर स्थायी सीमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:54 IST
Reason: SelfAttested

चिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवाना सुनिश्चित करें। तहसील चूरू का उक्त कार्यवाही राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, संबंधित पक्षकारों को पूर्व सूचना देकर एवं नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए की जाए। सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी पर होने वाला निर्धारित शुल्क एवं व्यय प्रार्थी द्वारा नियमानुसार जमा कराया जाएगा। यदि सीमांकन के दौरान किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो संबंधित पक्ष विधि अनुसार पृथक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 10.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:54 IST
Reason: SelfAttested